न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 249/2021

1 विकास पुत्र शेरसिंह जाति जाट आयु वर्ष निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा। **–वादी**

बनाम

1–प्रियंन्का पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा ।

2–कमला पत्नी शेरसिंह जाति जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

3–रणधीर पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

4–ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

5–शर्मिला पत्नी स्व. रविन्द्र जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

6–सोनु पुत्र स्व. रविन्द्र जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

7–अंकित पुत्र स्व. रविन्द्र जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ ।

9–आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा आदमपुर हरियाणा।

10–एसबीआई बस स्टेंड शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा जिला हनुमानगढ़

–प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री दीवानसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक ढ़ाका के खाता स0 101/87 के खसरा न0 205 में 4.3500 हैक्टेयर में रणधीर, स्व. रविन्द्र, ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियंका का 180 दर्ज है को रणधीर, ओमप्रकाश, [illegible] प्रियका ने 180 हिस्सा में अपना अपना सम्पूर्ण हिस्सा अकेले [illegible] त्याग कर अपना हक शुन्य कर लिया, इसलिए रणधीर, स्व. [illegible] ओमप्रकाश, पिंकी उर्फ प्रियंका के स्थान पर 180 हिस्सा का वादी विकास अकेला खातेदार कास्तकार है इसीनुसार [illegible] रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

चक गदरा के खाता स0 106/106 खसरा न0 334 कि 5.8170 हैक्टेयर [illegible] रणधीर, शर्मिला, सोनु, अंकित ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियंका का 4.805 हैक्टैयर

Scanned with CamScanner

दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कमला, रणधीर, विकास, पिकी उर्फ प्रियंका ने अपना अपना सम्पूर्ण हिस्सा में से 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह अकेले के पक्ष में व 1/2 हिस्सा शर्मिला, सोनु, अंकित के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक त्याग कर अपना शुन्य कर लिया, इसलिए 4.805 हैक्टयर में ओमप्रकाश 1/2 हिस्सा का व शर्मिला सोनु अंकित सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

भनाई के खाता स0 50/408 के खसरा न0 132, 649, 650/2 कि कुल 6.0700 हैक्टेयर में कमला का 2–23/144 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, रणधीर शर्मिला, सोनु, अंकित, ओमप्रकाश, विकास उर्फ प्रियंका का सयुक्त रूप से 75–85/144 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है को कमला, रणधीर, विकास, पिंकी उर्फ प्रियंका ने अपने अपने हिस्सा में से 1/2 हिस्सा, अकेले ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह के पक्ष में व 1/2 हिस्सा शर्मिला, अंकित, सोनु के पक्ष में सयुक्त रूप से हक त्याग कर दिया था इसलिए कमला का 2–23/144 हिस्सा में 1/2 का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार है 1/2 हिस्से के सयुक्त रूप से शर्मिला, रविन्द्र, सोनु खातेदार कास्तकार है, रणधीर ओमप्रकाश, विकास उर्फ प्रियंका का सयुक्त रूप से 75–85/144 हिस्सा दर्ज है में 1/2 का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार और 1/2 हिस्सा के सयुक्त रूप से शर्मिला, सोनु, अंकित स्व. रविन्द्र के वारिस खातेदार काश्तकार है।

भनाई के खाता स0 252/221 के खसरा न0 565, 667 की कुल 13.6330 हैक्टेयर में कमला का 4–4/9 हिस्सा, रणधीर, स्व. रविन्द्र, ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियन्का का 155–5/9 हिस्सा दर्ज, को कमला, रणधीर, पिकी, विकास ने अपने अपने हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह के पक्ष में व 1/2 हिस्सा को शर्मिला, सोनु, अंकित स्व. रविन्द्र के वारीस के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग कर था इसलिए कमला के 4–4/9 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार है, और 1/2 हिस्सा के सयुक्त रूप से शर्मिला सोनु, अंकित स्व0 रविन्द्र के वारीस खातेदार कास्तकार है, और रणधीर, ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियन्का का 155–5/9 हिस्सा में प्रत्येक के 0.393 हैक्टैयर का 1/2 का हिस्सा का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार है, और 1/2 हिस्सा के सयुक्त रूप से स्व. रविन्द्र के वारीस शर्मिला, सोनु, अंकित खातेदार कास्तकार है उक्त को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।चुंकि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 249/2021

1 विकास पुत्र शेरसिंह जाति जाट आयु वर्ष निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा। **–वादी**

बनाम

1–प्रियंन्का पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा ।

2–कमला पत्नी शेरसिंह जाति जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

3–रणधीर पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

4–ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

5–शर्मिला पत्नी स्व. रविन्द्र जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

6–सोनु पुत्र स्व. रविन्द्र जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

7–अंकित पुत्र स्व. रविन्द्र जाट निवासी गदरा तह0 भादरा हाल निवासी ढ़ाणी मोहब्बतपुर तह0 आदमपुर हरियाणा।

8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ ।

9–आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा आदमपुर हरियाणा।

10–एसबीआई बस स्टेंड शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा जिला हनुमानगढ़

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा: **वादी**

वकील [illegible] सिंह : **प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] **दिनांक :** 12.10.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] मौजा चक ढ़ाका के खाता स0 101/87 के खसरा न0 205 की 4.3500 हैक्टेयर कृषि भूमि में रणधीर, स्व.रविन्द्र, ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रिंयका का 180 हिस्सा ब.हि.ब दर्ज [illegible] राजस्व रिकार्ड है, इसी [illegible] खाता स0 106/106 के खसरा न0 334 कि 5.8170 हैक्टेयर में कमला, रणधीर, स्व. रविन्द्र ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियंकाका 4.805 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार चक भनाई के खाता स0 50/408 के खसरा न0 132, 649, 650/2 कि कुल 6.0700 हेक्टैयर में कमला का 2–23/144 हिस्सा, रणधीर, स्व. रविन्द्र, ओमप्रकाश, विकास,

Scanned with CamScanner

पिंकी उर्फ प्रियंका का 75–85/144 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, व चक भनाई के खाता के खाता स0 252/221 के ख0न0 565, 667 की कुल 13.6330 हैक्टेयर में कमला का 4–4/9 हिस्सा, रणधीर, ओमप्रकाश, स्व. रविन्द्र, विकास, पिंकी उर्फ प्रियंका का 155–5/9 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है,

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए इकबालदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 8 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 9 व 10 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु विकास पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गदरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही ढाका खाता सं0 101/87 प्रदर्श1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गदरा खाता सं0 106/106 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही भनाई खाता सं0 252/221 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही भनाई खाता सं0 50/408 प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही ढाका खाता सं0 113/101 प्रदर्श 5, पारिवारिक राजीनामा दिनांक 24.05.2021 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने मेहरिया व शेरडाके राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। चक ढ़ाका के खाता स0 101/87 के खसरा न0 205 में 4.3500 हैक्टेयर में रणधीर, स्व. रविन्द्र, ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियंका का 180 दर्ज है को रणधीर, ओमप्रकाश, पिंकी उर्फ प्रियंका ने 180 हिस्सा में अपना अपना सम्पूर्ण हिस्सा अकेले वादी विकास पुत्र शेरसिंह के पक्ष में त्याग कर अपना हक शुन्य कर लिया, इसलिए रणधीर रणधीर, स्व. रविन्द्र, ओमप्रकाश, पिंकी उर्फ प्रियंका के स्थान पर 180 हिस्सा का वादी विकास अकेला खातेदार कास्तकार है इसीनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

चक गदरा के खाता स0 106/106 खसरा न0 334 कि 5.8170 हैक्टेयर में कमला, रणधीर, शर्मिला, सोनु, अंकित ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियंका का 4.805 हैक्टैयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कमला, रणधीर, विकास, पि[illegible]यंका ने अपना अपना सम्पूर्ण हिस्सा में से 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह [illegible] के [illegible] में व 1/2 हिस्सा शर्मिला सोनु, अंकित के पक्ष में बहिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
प्र.गा.[illegible]अभियान 2021
कैम्प [illegible]

बराबर हक त्याग कर अपना शुन्य कर लिया, इसलिए 4.805 हैक्टयर में ओमप्रकाश 1/2 हिस्सा का व शर्मिला सोनु अंकित सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार कास्तकार है।

Scanned with CamScanner

भनाई के खाता स0 50/408 के खसरा न0 132, 649, 650/2 कि कुल 6.0700 हैक्टेयर में कमला का 2–23/144 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, रणधीर शर्मिला, सोनु, अंकित, ओमप्रकाश, विकास उर्फ प्रियंका का सयुक्त रूप से 75–85/144 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है को कमला, रणधीर, विकास, पिंकी उर्फ प्रियंका ने अपने अपने हिस्सा में से 1/2 हिस्सा, अकेले ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह के पक्ष में व 1/2 हिस्सा शर्मिला, अंकित, सोनु के पक्ष में सयुक्त रूप से हक त्याग कर दिया था इसलिए कमला का 2–23/144 हिस्सा में 1/2 का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार है 1/2 हिस्से के सयुक्त रूप से शर्मिला, रविन्द्र, सोनु खातेदार कास्तकार है, रणधीर ओमप्रकाश, विकास उर्फ प्रियंका का सयुक्त रूप से 75–85/144 हिस्सा दर्ज है में 1/2 का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार और 1/2 हिस्सा के सयुक्त रूप से शर्मिला, सोनु, अंकित स्व. रविन्द्र के वारिस खातेदार कास्तकार है।

भनाई के खाता स0 252/221 के खसरा न0 565, 667 की कुल 13.6330 हैक्टेयर में कमला का 4–4/9 हिस्सा, रणधीर, स्व. रविन्द्र, ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियन्का का 155–5/9 हिस्सा दर्ज, को कमला, रणधीर, पिकी, विकास ने अपने अपने हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह के पक्ष में व 1/2 हिस्सा को शर्मिला, सोनु, अंकित स्व. रविन्द्र के वारीस के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग कर था इसलिए कमला के 4–4/9 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार है, और 1/2 हिस्सा के सयुक्त रूप से शर्मिला सोनु, अंकित रविन्द्र के वारीस खातेदार कास्तकार है, और रणधीर, ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियन्का का 155–5/9 हिस्सा में प्रत्येक के 0.393 हैक्टैयर का 1/2 का हिस्सा का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार है, और 1/2 हिस्सा के सयुक्त रूप से स्व. रविन्द्र के वारीस शर्मिला, सोनु, अंकित खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक ढ़ाका के खाता स0 101/87 के खसरा न0 205 में 4.3500 हैक्टेयर में रणधीर, स्व. रविन्द्र, ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियंका का 180 दर्ज है को रणधीर, ओमप्रकाश, पिंकी उर्फ प्रियंका ने 180 हिस्सा में अपना अपना सम्पूर्ण हिस्सा अकेले वादी विकास पुत्र शेरसिंह के पक्ष में त्याग कर अपना हक शुन्य कर लिया, इसलिए रणधीर रणधीर, स्व. रविन्द्र, ओमप्रकाश, पिंकी उर्फ प्रियंका के स्थान पर 180 हिस्सा का वादी विकास अकेला खातेदार कास्तकार है इसीनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

चक गदरा के खाता स0 106/106 खसरा न0 334 कि 5.8170 हैक्टेयर में कमला, रणधीर, शर्मिला, सोनु, अंकित ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रिंयका का 4.805 हैक्टैयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कमला, रणधीर, विकास, पिकी उर्फ प्रिंयका ने अपना अपना सम्पूर्ण हिस्सा में से 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह अकेले के पक्ष में व 1/2 हिस्सा शर्मिला, सोनु, अंकित के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक त्याग कर अपना शुन्य कर लिया, इसलिए 4.805 हैक्टयर में ओमप्रकाश 1/2 हिस्सा का व शर्मिला [illegible] सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

भनाई के खाता स0 50/408 के खसरा न0 [illegible] 649, 650/2 कि कुल 6.0700 हैक्टेयर में कमला का 2–23/144 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, रणधीर शर्मिला, सोनु, अंकित, ओमप्रकाश, विकास उर्फ प्रियंका का सयुक्त रूप से 75–85/144 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है को कमला, रणधीर, विकास, पिंकी उर्फ प्रियंका ने अपने अपने हिस्सा में से 1/2 हिस्सा, अकेले ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह के पक्ष में व 1/2 हिस्सा शर्मिला, अंकित, सोनु के पक्ष में सयुक्त रूप से हक त्याग कर दिया था इसलिए कमला का 2–23/144 हिस्सा में 1/2

Scanned with CamScanner

का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार है 1/2 हिस्से के सयुक्त रूप से शर्मिला, रविन्द्र, सोनु खातेदार कास्तकार है, रणधीर ओमप्रकाश, विकास उर्फ प्रियंका का सयुक्त रूप से 75–85/144 हिस्सा दर्ज है में 1/2 का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार और 1/2 हिस्सा के सयुक्त रूप से शर्मिला, सोनु, अंकित स्व. रविन्द्र के वारीस खातेदार काश्तकार है।

भनाई के खाता स0 252/221 के खसरा न0 565, 667 की कुल 13.6330 हैक्टेयर में कमला का 4–4/9 हिस्सा, रणधीर, स्व. रविन्द्र, ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियन्का का 155–5/9 हिस्सा दर्ज, को कमला, रणधीर, पिकी, विकास ने अपने अपने हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश पुत्र शेरसिंह के पक्ष में व 1/2 हिस्सा को शर्मिला, सोनु, अंकित स्व. रविन्द्र के वारीस के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग कर था इसलिए कमला के 4–4/9 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार है, और 1/2 हिस्सा के सयुक्त रूप से शर्मिला सोनु, अंकित रविन्द्र के वारीस खातेदार कास्तकार है, और रणधीर, ओमप्रकाश, विकास, पिंकी उर्फ प्रियन्का का 155–5/9 हिस्सा में प्रत्येक के 0.393 हैक्टैयर का 1/2 का हिस्सा का ओमप्रकाश खातेदार कास्तकार है, और 1/2 हिस्सा के सयुक्त रूप से स्व. रविन्द्र के वारीस शर्मिला, सोनु, अंकित खातेदार कास्तकार है उक्त को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट-टैक) भादरा
भादरा, जिला हनुमानगढ़
कैम्प भनाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner